उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-2
संख्या-1911/सैतीस-2-2006-33(5)/84
लखनऊ :: दिनांक 17 मई, 2006

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0-708/सैतीस-2-2004-33(5)/84, दि0-06.05.04 के क्रम में दवाओं आदि के क्रय की वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. विशेषज्ञ समिति:- संयुक्त निदेशक (रो.नि.) का दायित्व होगा कि विशेषज्ञ समिति की बैठक से पूर्व वे प्रदेश के समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों से उनके सम्बन्धित जनपदों की आवश्यकता, वहाँ के भौगोलिक स्थिति, जलवायु तथा क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने वाले रोगों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए, उनसे मांगपत्र प्राप्त कर संकलित रूप से सीमित रूप में बजट उपलब्धता को भी दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत करायी जायें। अनावश्यक रूप से बहुत सी औषधियों एवं उपकरणों तथा सामग्रियों को विशेषज्ञ समिति से अनुमोदित न करवाया जाय। ऐसी औषधियाँ या फीड सप्लीमेंट्स को कदापि अनुमोदित न किया जाय, जिनकी गुणवत्ता की जाँच सम्भव न हो अर्थात् ड्रग लाईसेन्स या आई.एस.आई. के मानक के अन्तर्गत न आती हों। विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय। किसी सदस्य अथवा शासन द्वारा आपत्ति प्रकट किये जाने पर उसके नियमित निराकरण हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।
2. क्रय समिति:- क्रय समिति का उत्तरदायित्व होगा कि क्रय से संबंधित निविदाओं को समय से आमंत्रित कराकर उद्योग विभाग, वित्त विभाग तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों, नियमावलियों तथा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए ही दरों का निर्धारण किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी प्रकार का कोई विचलन न किया जाय। दर निर्धारण में निविदा में उल्लिखित निविदा शर्तों का पूर्णतया अनुपालन कराया जाय। किसी फर्म विशेष या विशेष सामग्री को नियमों के विरूद्ध कदापि भी वरीयता न प्रदान की जाय। क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर सूची की प्रति भी नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाय।
3. माँग-पत्र:- संबंधित योजना प्रभारी के स्तर से माँग-पत्र तैयार किये जायेंगे। योजना प्रभारी का दायित्व होगा कि माँग-पत्र में अन्य अपेक्षित विवरण के अतिरिक्त दवा/उपकरण का नाम, स्पेसिफिकेशन, मात्रा एवं गन्तव्य स्थान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया हो। माँग-पत्र के साथ योजना का नाम, विशेषज्ञ समिति की संदर्भित बैठक के कार्यवृत्त की संख्या एवं दिनांक तथा बजट उपलब्धता का विवरण भी अंकित किया जाय। विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित मात्रा कृत सूची की प्रति भी माँग-पत्र के साथ संलग्न कर संयुक्त निदेशक (रो.नि.) को भेजेंगे।

संयुक्त निदेशक (रो.नि.) यह सुनिश्चित करेंगे कि माँग-पत्र में दर्शायी मात्रा संबंधित योजना/संस्था की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित है व विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप है, परन्तु विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन में किसी भी स्थिति में विचलन नही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा का क्रय नही किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में विशेषज्ञ समिति की अगली बैठक में उक्त तथ्य निदेशक के संज्ञान में लाते हुए प्रस्तुत किया जायेगा।

4. क्रयादेश निर्गमनः- क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न कराने का दायित्व निदेशक का होगा।

क्रयादेश क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर ही दिये जायेंगे। क्रयादेश की एक प्रतिलिपि (अन्य के साथ-साथ) संयुक्त निदेशक (रो.नि.) को निम्न अभिलेखों/प्रमाणपत्रों के साथ भेजी जायेगीः-

(i) क्रय आदेश क्रय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप है।
(ii) क्रय आदेश संसूचित बजट के अन्तर्गत है।
(iii) क्रय आदेश विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।
(iv) क्रय आदेश संदर्भित माँग-पत्र (संख्या एवं दिनांक) के अनुसार है।
(v) क्रय आदेश क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर ही है।

5. क्रयादेश का निर्गमन के पश्चात परीक्षणः- संयुक्त निदेशक (रो.नि.) का दायित्व होगा कि क्रयादेश की प्रतिलिपि अपेक्षित संलग्नकों सहित प्राप्त होने पर परीक्षण करें कि क्रयादेश में कोई त्रुटि तो नही है। क्रयादेश पूर्णतया नियमानुसार एवं त्रुटिरहित होने की अपनी आख्या/प्रमाणपत्र को पत्रावली में निदेशक, पशुपालन से विधिवत अवलोकन एक ही सप्ताह के अन्दर करायेंगे। त्रुटि की स्थिति में उसका नियमानुसार अपेक्षित निराकरण कराकर निदेशक के संज्ञान में लायेंगे।

6. गुणवत्ता नियन्त्रणः- अपर निदेशक, बी.पी.संस्थान (प्रान्तीय स्तर पर रोग नियन्त्रण के नोडल अधिकारी) का दायित्व होगा कि वह केन्द्रीय स्तर पर आपूर्ति की जाने वाली दवाओं/उपकरणों आदि का अपेक्षानुसार सैम्पलिंग कराकर उनकी गुणवत्ता/स्पेसिफिकेशन की अनुरूपता सुनिश्चित करेंगे।

7. नोटः- इस संबंध में पूर्व में निर्धारित अन्य सामान्य प्रक्रियाओं का नियमानुसार अनुपालन किया जाता रहेगा।

(एस.एस.यादव)
सचिव ।

पृ0संख्या-1911(1)/सैतीस-2-2006- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निदेशक, पशुपालन विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(योगेश चन्द्र शर्मा)
अनु सचिव ।

पृ0संख्या-1910(1)/सैतीस-2-2006- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त उप निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश ।
3. परियोजना निदेशक, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र भैंसोड़ा (नौगढ़), चन्दौली ।
4. परियोजना अधिकारी/संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बाबूगढ़ (गाजियाबाद), निबलेट (बाराबंकी), चकगंजरिया (लखनऊ), मंझरा (लखीमपुर खीरी) तथा भदावरी भैंस प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा ।
5. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), लखनऊ/समस्त प्रक्षेत्र प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश ।
6. सहायक निदेशक (नियो.), पशुपालन निदेशालय, लखनऊ ।
7. उप निदेशक (लघु पशु), पशुपालन निदेशालय, लखनऊ ।
8. संयुक्त निदेशक (रो.नि.)/(कुक्कुट), पशुपालन निदेशालय, लखनऊ ।
9. अपर निदेशक (बी.पी.संस्थान)/(गोधन विकास), पशुपालन निदेशालय, लखनऊ ।
10. वित्त नियंत्रक, पशुपालन निदेशालय, लखनऊ ।
11. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(योगेश चन्द्र शर्मा)
अनु सचिव ।